इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

क्रमांक एफ ए 3-28/2017/1/पांच (48)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 7 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, करते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की अनुशंषाओं पर, एतददद्वरा, अधिसूचित करती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वचनबंधित किए गए निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें लोक प्राधिकरण के रूप में किया गया है, को ना तो माल की पूर्ति और ना ही सेवा के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्:-

"संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अधीन पंचायत को सौपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी क्रियाकलाप के माध्यम से सेवाएं"

2. **यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रवृत होगी ।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–28/2017/1/पांच भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–28/2017/1/पांच (48), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

NOTIFICATION

Bhopal, Dated : 30/06/2017

No. F A 3-28/2017/1/FIVE(48)

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the G.S.T. Council, hereby, notifies that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as supply of goods nor as a supply of service, namely :-

"Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution".

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.